386/10-02-2021

दिनांक– 05.02.2021 को अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त की समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही।

उपस्थितिः– यथा पंजी संधारित।

दिनांक– 05.02.2021 को अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्यों की समीक्षात्मक बैठक हुई। बैठक में समीक्षोपरान्त निम्नांकित बिन्दुओं पर आवश्यक निर्णय लिए गए एवं निदेश दिए गएः–

(i) बन्दोबस्त पदाधिकारियों के लिए MIS :– प्रतिवेदित किया गया कि विगत बैठक में लिए गए निर्णय के अनुपालन में बन्दोबस्त पदाधिकारियों के मूल्यांकन के लिए (POP) Percentile Performance Objective Parameters तैयार कर सभी बन्दोबस्त पदाधिकारियों को उपलब्ध करा दिया गया है।

विमर्शोपरांत निर्णय लिया गया कि POP के आधार पर समीक्षा कर आगामी माह से जिलावार POP निर्धारित कर मूल्यांकन किया जाए।

(ii) ETS का क्रय :– बैठक में प्रतिवेदित किया गया कि ETS क्रय करने की निविदा प्रकाशित कर दी गई है और दिनांक– 16.02.2021 को निविदा खोलने की कार्रवाई की जाएगी।

विमर्शोपरांत निर्णय लिया गया कि इस सम्बन्ध में दिनांक– 16.02.2021 के पश्चात् सभी तरह की औपचारिकताएँ यथाशीघ्र पूर्ण कर ली जाए।

(iii) जिला बन्दोबस्त कार्यालय एवं शिविर कार्यालय की समीक्षा :– प्रतिवेदित किया गया कि विगत बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में शिविर स्तरीय समीक्षा CVMS (Camp Visit Monitoring System) एवं DCIM (District and Camp Inventory Management System) का प्रारूप तैयार कर लिया गया है एवं इसके लिए MIS तैयार किया जा रहा है।

विमर्शोपरांत निर्णय लिया गया कि DCIM सम्बन्धी प्रतिवेदन दिनांक– 17.02.2021 तथा CVMS सम्बन्धी प्रतिवेदन दिनांक– 19.02.2021 को उपस्थापित किया जाए।

(iv) सरकारी भूमि की सूची :– प्रतिवेदित किया गया कि विगत बैठक में दिए गए निदेश के अनुपालन में विभिन्न विभागों से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर सभी विभागाध्यक्षों से पुनः जिला स्तरीय निदेश देने का अनुरोध किया गया है।

विमर्शोपरांत निर्णय लिया गया कि इस सम्बन्ध में वर्त्तमान स्थिति से मुख्य सचिव, बिहार को अवगत कराया जाए।

(v) विशेष सर्वेक्षण कर्मियों का प्रशिक्षण :– प्रतिवेदित किया गया कि कार्यरत विशेष सर्वेक्षण सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी, विशेष सर्वेक्षण कानूनो एवं विशेष सर्वेक्षण अमीन का माह–फरवरी–मार्च, 2021 का प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार कर जिलों को उपलब्ध करा दिया गया है। प्रशिक्षण का पहला चरण 08 फरवरी, 2021 से प्रारंभ किया जाना है। क्षेत्रीय प्रशिक्षण का कार्यक्रम निर्धारित नहीं किया गया है। वर्त्तमान माह में निदेशालय के सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी द्वारा जिलों का भ्रमण कार्यक्रम निर्धारित कर दिया गया है।

विमर्शोपरांत निर्णय लिया गया कि जिला स्तर के प्रशिक्षण का कार्यक्रम निर्धारित किया जाए और नवनियुक्त होनेवाले 550 संविदा अमीनों को राज्य स्तरीय एवं जिला स्तरीय प्रशिक्षण का प्रस्ताव तैयार किया जाए। इन संविदा अमीनों के लिए एक सप्ताह का प्रशिक्षण का प्रस्ताव तैयार कर पटना या छपरा में एक साथ प्रशिक्षण देने पर विचार किया जाए।

(vi) विशेष सर्वेक्षण संबंधी जन–जागरूकता :– प्रतिवेदित किया गया कि जिला स्तरीय विशेष सर्वेक्षण संबंधी जन–जागरूकता कार्यों की समीक्षा के लिए MIS तैयार कर निर्धारित बिन्दुओं के अनुसार जिलों की समीक्षा की जा रही है। यह भी प्रतिवेदित किया गया कि राजस्व एवं सर्वेक्षण से सम्बन्धित डाक्यूमेंट्री भी तैयार है, उसमें माननीय राजस्व मंत्री का वक्तव्य समाहित किया जाना बाकी है।

विमर्शोपरांत निर्णय लिया गया कि विशेष सर्वेक्षण सम्बन्धी जन–जागरूकता अंतर्गत समाचार–पत्रों में प्रकाशन करने का कैलेन्डर निर्धारित कर लिया जाए। साथ ही समाचार–पत्रों तथा रेडियो पर दिए जाने वाले विज्ञापनों की निरन्तरता बनाई रखी जाए और क्रमबद्ध तरीके से विज्ञापन दिए जाए। राजस्व एवं सर्वेक्षण के सम्बन्ध तैयार डाक्यूमेंट्री के सम्बन्ध में विमर्शोपरांत निर्णय लिया गया कि इसे शीघ्र पूर्ण कर जिलों में सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार, पटना के माध्यम से जिलों में प्रदर्शित करने की व्यवस्था की जाए।

(vii) मानचित्रों के Door Step Delivery :– बैठक में उपस्थित उप निदेशक, बिहार सर्वेक्षण कार्यालय, गुलजारबाग, पटना द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि दरभंगा एवं झंझारपुर में खराब प्लॉटर की मरम्मति कर मानचित्र बिक्री का काम शुरू कर दिया गया है, जबकि जहानाबाद, अरवल और सारण का प्लॉटर आगामी समीक्षात्मक बैठक के पूर्व ठीक कर लिया जाएगा। मानचित्रों की Door Step Delivery के बारे में प्रतिवेदित किया गया कि इस निमित्त बनाए गए सॉफ्टवेयर का ट्रायल कर लिया गया है और अग्रेतर कार्रवाई के लिए संचिका उपस्थापित कर दी गई है।

निदेश दिया गया कि मानचित्रों की बिक्री का प्रतिवेदन ऑनलाईन प्राप्त किया जाए एवं दैनिक आधार पर ऑनलाईन प्रतिवेदन के माध्यम से बिक्री की समीक्षा की जाए।

(viii) DILRMP के तहत भारत सरकार को समर्पित किए जानेवाले प्रस्ताव :– निदेश दिया गया कि DILRMP के तहत भारत सरकार को समर्पित किए गए प्रस्तावों और उनके सम्बन्ध में हुई कार्रवाई तथा अद्यतन स्थिति के बारे में Excel Chart में प्रतिवेदन तैयार कर लिया जाए और भारत सरकार को आय–व्यय प्रतिवेदन ससमय बनाकर प्रेषित किया जाए।

(ix) भू–नक्शा सॉफ्टवेयर एवं Texual and Spatial Data Integration :– प्रतिवेदित किया गया कि निदेशानुसार इस सम्बन्ध में निदेशालय स्तर से प्रस्तुतीकरण (PPT) तैयार कर लिया गया है।

विमर्शोपरांत निर्णय लिया गया कि इस विषय पर अखिल भारतीय स्तर पर विभिन्न राज्यों के विशेषज्ञों तथा NIC के केन्द्रीय विशेषज्ञों की कार्यशाला किया जाना आवश्यक है। अतः इस सम्बन्ध में दिनांक– 22.02.2021 को 10–12 विशेषज्ञों की बैठक की जाए। इन विशेषज्ञों में गुजरात तथा NIC, New Delhi, श्री कमल जैन, प्रोफसर, आई0आई0टी0 रूड़की एवं अन्य विशेषज्ञों को बुलाने पर भी बैठक में सहमति व्यक्त की गई। निदेशित किया गया कि इस सम्बन्ध में आवश्यक पत्राचार एवं तैयारियों ससमय पूर्ण कर ली जाए।

(x) भारत सरकार से प्राप्त "स्वामित्व योजना" के सम्बन्ध में :– प्रतिवेदित किया गया कि भारत सरकार से "स्वामित्व योजना" के सम्बन्ध में प्राप्त प्रस्ताव के सम्बन्ध में मन्तव्य तैयार कर उपस्थापित किया गया है।

(xi) <u>विशेष सर्वेक्षण कार्य में GIS Layer का संधारण</u> :– प्रतिवेदित किया गया कि गत् बैठक में दिए गए निदेश के अनुपालन में जी0आई0एस0 सलाहकार, श्री चंदन कुमार द्वारा शेखपुरा के गुड़ेरा ग्राम में पायलट के रूप में इस कार्य का प्रारंभ कर दिया गया है।

विमर्शोपरांत निर्णय लिया गया कि GIS Layer संधारण के सम्बन्ध में एक चेकस्लिप एवं SOP (Standard Operationg Mannual) तैयार किया जाए। ग्रामवार GIS Layer के संधारण का कार्य पूर्ण होने के सम्बन्धित शिविर प्रभारी/कानूनगो एवं अमीन से प्रमाण–पत्र भी प्राप्त कर लिया जाए ताकि GIS Layer संबंधी प्रविष्टि में कोई प्रविष्टि छुटे नहीं और भविष्य में खेसरा विशिष्ट की विशिष्ट जानकारी को पुनः संकलित करने की आवश्यकता नहीं पड़े। इस सम्बन्ध में दिनांक– 08. 02.2021 को बन्दोबस्त पदाधिकारियों की राज्य स्तरीय मासिक समीक्षात्मक बैठक में एक प्रस्तुतीकरण देने का निदेश भी जी0आई0एस0 सलाहकार को दिया गया।

(xii) <u>RSTI, गया के सम्बन्ध में</u> :– राजस्व सर्वे प्रशिक्षण संस्थान, गया के सम्बन्ध में प्रतिवेदित किया गया कि निर्माण कार्य पूरा करने के लिए भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को जो राशि उपलब्ध कराई गई थी, उसमें शेष बची राशि को व्यय करने के सम्बन्ध में भवन निर्माण विभाग द्वारा वित्त विभाग, बिहार, पटना को सिलिंग हटाने का अनुरोध किया जाना है और इस सम्बन्ध में भवन निर्माण विभाग से सम्पर्क भी किया गया है।

निदेश दिया गया कि इस सम्बन्ध में भवन निर्माण विभाग और वित्त विभाग में समन्वय स्थापित कर RSTI, गया का कार्य यथाशीघ्र पूर्ण किया जाए।

अंत में सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

ह0/–
(विवेक कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव,
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांकः – 17–विशेष सर्वेक्षण कार्यवाही – 84/2019...386..... **पटना, दिनांक** :–10-02-2021

प्रतिलिपिः– सहायक निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप/उपनिदेशक, बिहार सर्वेक्षण कार्यालय, गुलजारबाग, पटना/प्रभारी तकनीकी कोषांग/सभी नोडल पदाधिकारी/श्री राजेश कुमार सिंह, सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी/श्री चंदन कुमार, जी0आई0एस0 सलाहकार/श्री विजय सम्राज्य, सहायक, बी0पी0एम0यू0 भू–अभिलेख एवं परिमाप, निदेशालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांकः – 17–विशेष सर्वेक्षण कार्यवाही – 84/2019...386...... **पटना, दिनांक** :–10-02-2021

प्रतिलिपिः– सभी प्रशाखा पदाधिकारी, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

D:\Sanjeev-2021\Birendra kumar, ASO\Proceeding\Proceeding_05.02.2021.docx

ज्ञापांकः – 17–विशेष सर्वेक्षण कार्यवाही – 84 / 2019......386... **पटना, दिनांक** :–10-02-2021

प्रतिलिपिः– सुश्री सुरभि सिंह, एम0आई0एस0 डाटा एनालिस्ट, आई0टी0सेल, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांकः – 17–विशेष सर्वेक्षण कार्यवाही – 84 / 2019...386...... **पटना, दिनांक** :–10-02-2021

प्रतिलिपिः– अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

D:\Sanjeev-2021\Birendra kumar, ASO\Proceeding\Proceeding_05.02.2021.docx